भाग–III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 अगस्त, 2019

संख्या का०आ० 65/के०अ०4/2016/धा० 3क/2019.– वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 4), की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ०70/के०अ०4/2016/धा०3/2017, दिनांक 27 अक्तूबर, 2017 के अधिक्रमण में, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, गुरूग्राम सैशन डिवीजन से सम्बन्धित पचास लाख रूपए से अधिक के विनिर्दिष्ट मूल्य के मामलों का निर्णय, करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय, गुरूग्राम का गठन करते हैं और आगे उक्त न्यायालय को गुरूग्राम सैशन डिवीजन के सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)/अपर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) और सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के न्यायालयों के निर्णयों, डिक्रियों और आदेशों के परिणामस्वरूप होने वाली अपीलों का निर्णय करने के लिए वाणिज्यिक अपील न्यायालय के रूप में पदाभिहित करते हैं।

नवराज सन्धु,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 30th August, 2019

No. S.O. 65/C.A.4/2016/S.3A/2019.— In exercise of the Powers conferred by section 3A of the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015 (Centeral Act 4 of 2016) the Governor of Haryana after consultation with the High Court of Punjab and Haryana hereby constitutes Commercial Court at Gurugram, to decide the cases of the specified value of more than fifty lac rupees pertaining to Gurugram Sessions Division, and further designates the said court to be Commercial Appellate Court to decide the appeals arising out of the judgements, decrees and orders of the Courts of the Civil Judge (Senior Division)/ Additional Civil Judge (Senior Division) and Civil Judge (Junior Division) of Gurugram Sessions Division.

NAVRAJ SANDHU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Administration of Justice Department.

57332—L.R.—H.G.P., Chd.